भाग III

(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलंग्न करें	14	नहीं
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 सीहोर के द्वारा भाग **II** में की गई अनुशंसा के आधार पर, नगर पालिका परिषद आष्टा के रहवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत रामपुरा जलाशय से आष्टा तक रोड़ के किनारे किनारे **(Right of way)** पानी की पाईप लाईन बिछानें हेतु परिक्षेत्र आष्टा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 148 की कुल 0.192 हेक्टर वनभूमि, नगर पालिका, परिषद आष्टा को उपयोग पर देने के लिये, व्यपवर्तन बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि 6.6.2020

स्थानः भोपाल

नाम

सरकारी मोहर

(रवीन्द्र सक्सेना)

मुख्य वन संरक्षक

भोपाल वृत्त भोपाल

6-6-20

कार्यालय वन वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 890

भोपाल, दिनांक 6 जून 2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक,
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषयः– सीहोर जिले में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत रामपुरा जलाशय से आष्टा तक रोड़ के किनारे किनारे पानी की पाईप लाईन बिछानें हेतु 0.192 हेक्टर वनभूमि, नगर पालिका, परिषद आष्टा को उपयोग पर देने बावत्। (ऑन लाईन प्रकरण क्रमांक FP/MP/Water/42812/2019)

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर का पत्र क्रमांक/माचि/ 1026 दिनांक 28/5/2020

---0---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा वनमंडल सीहोर अंतर्गत नगर पालिका परिषद आष्टा के रहवासियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु **मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत रामपुरा जलाशय से आष्टा तक रोड़ के किनारे किनारे पानी की पाईप लाईन बिछानें हेतु परिक्षेत्र आष्टा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 148 की कुल 0.192 हेक्टर वनभूमि, नगर पालिका, परिषद आष्टा को** उपयोग पर देने के लिये, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत Right of way के तहत वनमंडलाधिकारी को प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत अनुमति देने बावत्, प्रस्ताव **ऑन लाईन एवं हार्ड प्रति में , इस कार्यालय के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया हैं।**

उल्लेखनीय हैं कि मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ/5/18/ 2002/10–3 दि. 18/11/04 एवं एफ–5/18/2002/10–3 दि. 14/12/05 एवं एफ 5/18/2002/10–3 दि.01/07/09 तथा आपके पत्र क्रमांक/एफ–11/2015/2637 दि. 28/10/2015 द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राईट ऑफ वे के तहत अभयारण्य के बाहर स्थित वनक्षेत्र में बिना वृक्षों की कटाई के प्रस्तावों में **स्वीकृति के अधिकार, क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारियों को प्रत्यायोजित किये गये हैं** एवं **आपके पत्र क्र एफ–11/2017/ 10–11/2586 दि. 01/09/17 से प्राप्त निर्देशानुसार उक्त स्वीकृति जारी करने के पूर्व संबंधित मु0व0सं0 (क्षेत्रीय) का अनुमोदन आवश्यक हैं।**

परन्तु उपरोक्त निर्देश अनुसार व0म0अ0 स्तर से अनुमति जारी करने के संबंध में आपके कार्यालय से दिनांक 5/10/19 को दूरभाष पर वनमंडल राजगढ के एक अन्य **प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/ 39747/2019** के संदर्भ में निर्देशित किया गया कि **आगामी निर्देश तक** ऐसे प्रस्ताव की हार्ड प्रति अनुमोदन कर, उन्हें (अ.प्र.मु.व.सं. भू–प्रबंध को) भेजे एवं आपके निर्देश उपरांत ही व0म0अ0 द्वारा अनुमति जारी की जावे।

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित** अवलोकनार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

(रविन्द्र सक्सेना)
मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 891

भोपाल, दिनांक 6 जून 2020

प्रतिलिपिः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहरेर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्। प्रकरण में आपके द्वारा निर्धारित प्रारूप भाग 2 में की गई अनुशंसा के आधार पर, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के पत्र क्र एफ–11/2017/10–11/2586 दि. 01/09/17 से प्राप्त निर्देशानुसार **प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता हैं।** परन्तु अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल के कार्यालय से दिनांक 5/10/19 को दूरभाष पर वनमंडल राजगढ के एक अन्य **प्रकरण क्रमांक FP/MP/WATER/ 39747/2019** के संदर्भ में प्राप्त निर्देश कि ***आगामी निर्देश तक ऐसे प्रस्ताव की हार्ड प्रति अनुमोदन कर, उन्हें (अ.प्र.मु.व. सं. भू–प्रबंध को) भेजे एवं उनके निर्देश उपरांत ही व0म0अ0 द्वारा अनुमति जारी की जावे।*** अतः कृपया तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

2. मुख्य **नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद आष्टा** की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।

मुख्य वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

E:\tribal act. santioned pragati\Tribal act k tahat sahamati.doc

6.6.20